

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016-आश्विन 15, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में मनोज कुमार मण्डलोई पिता श्यामलाल मण्डलोई था. अब मैंने अपना नाम बदलकर मनोजसिंह मण्डलोई पिता श्यामलाल मण्डलोई कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे तथा मुझसे संबंधित समस्त दस्तावेजों में मनोजसिंह मण्डलोई पिता श्यामलाल मण्डलोई के नाम से जाना तथा पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(मनोज कुमार मण्डलोई)

नया नाम :

(मनोजसिंह मण्डलोई)

पिता श्यामलाल मण्डलोई,

निवासी-ग्राम 88, छोखुर्द, तहसील बदनावर,

जिला धार (म.प्र.).

(397-बी.)

नाम परिवर्तन

आज से पहले मैं गंगाराम पटेल के नाम से जाना जाता था. आज से मैं गौरव पटेल के नाम से जाना जाऊंगा. यह दोनों नाम मेरे ही हैं.

पुराना नाम :

(गंगाराम पटेल)

नया नाम :

(गौरव पटेल)

ई-6, सिद्धार्थ इन्क्लेव नरेला शंकरी,

भोपाल (म.प्र.).

(398-बी.)

CHANGE OF NAME

I, declare that before my name was Abhay Kumar Singh Rathor. I have changed my name as

Abhay Kumar Singh Rathor to Abhay Singh Rathore S/o Om Prakash Singh Rathor. In future I will be known as new name Abhay Singh Rathore.

Old Name:

(ABHAY KUMAR SINGH RATHOR)

(399-B.)

New Name :

(ABHAY SINGH RATHORE)

Address-H.No. 305, Bajrang Nagar,
Indore (M.P.) 452011.

CHANGE OF NAME

I, Umesh Kumar Basediya Sharma, resident of 20, Sagar Garden Homes, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal M.P. Declare that my previous name was Umesh Kumar Basediya at my present or new name is Umesh Kumar Basediya Sharma.

Old Name:

(UMESH KUMAR BASEDIYA)

(400-B.)

New Name :

(UMESH KUMAR BASEDIYA SHARMA)

CHANGE OF NAME

I, Lokendra Kumar, wish to add my family name "balyan" with my original name "lokendra kumar". Henceforth, I shall be known by my complete name "lokendra kumar balyan" for all purposes (including name in passport, Pan Card, Driving License and other official Govt. Documents whatsoever).

Old Name:

(LOKENDRA KUMAR)

(401-B.)

New Name :

(LOKENDRA KUMAR BALYAN)

H. No. 104, Rampyari Apartment,
South Civil Lines, Jabalpur,
Pin-482001.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म वाई. टी. फूड्स स्थित 195, सिन्धी कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0174/15, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 जिसमें दिनांक 02-06-2016 को भागीदार रोहित आहूजा पुत्र श्री अमृतलाल आहूजा, निवासी 195, सिन्धी कॉलोनी, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक को 02-06-2016 को श्रीमती सरिता आहूजा पत्नी श्री दिलीप आहूजा, निवासी 180, सिन्धी कॉलोनी, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गई हैं तथा इसी दिनांक 02-06-2016 से फर्म का मुख्य कार्यालय 195, सिन्धी कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर से 180, सिन्धी कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर स्थानांतरित हो गया है, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

(402-बी.)

फर्म वाई. टी. फूड्स,
निखिल आहूजा,
(भागीदार).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आर. एल. डब्लुपर्स, इन्दौर स्थित 502, सगुन अकॅड, यू-टर्म शोरूम के सामने, विजय नगर, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0267/15, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 है. जिसमें दिनांक 06-06-2016 को भागीदारी-
1. श्री अनिल कुमार जायसवाल पिता श्री हरिनारायण प्रसाद जायसवाल, निवासी-103, बलसान शालीमार टाऊनशिप, ए. बी. रोड, इन्दौर,
2. श्री भगवान जायसवाल पिता श्री तेजनारायण जायसवाल, निवासी-103, बलसान शालीमार टाऊनशिप, ए. बी. रोड, इन्दौर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

(403-बी.)

वास्ते-मैसर्स आर. एल. डब्लुपर्स,
अखिलेश मंडवाल,
(भागीदार)
इन्दौर.

PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given that Shikhha D/o G.S. Ahuja, R/o 1911/1, wright Town, Jabalpur retired from the partnership firm Prem Enterprises, Jabalpur on 31-03-2007. Megha W/o Aashish Ahuja has been admitted as partner in the said firm Styled "Prem " Enterprises w.e.f. 01-04-2007.

SUMIT NEMA,

(Advocate)

1029, Gol Bazar, JBP.

(404-B.)

विविध**अन्य सूचनाएं****कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा**

विदिशा, दिनांक 05 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) व 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/961.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/778, विदिशा, दिनांक 25 जून, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बण्डवा, पोस्ट सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था के सदस्यों के हित में है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) की शक्ति का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बण्डवा, पोस्ट सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./874, दिनांक 30 मार्च, 2013 को पुनर्जीवित करता हूँ.

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थाई रूप से नामांकित की जाती है-

1.	श्री भैरोगिरी गोस्वामी	अध्यक्ष
2.	श्री हरि गिरी गोस्वामी	उपाध्यक्ष
3.	श्री दयाल सिंह रजक	संचालक
4.	श्री दातार सिंह	संचालक
5.	श्री भारत सिंह	संचालक
6.	श्री खुमान सिंह	संचालक
7.	श्रीमती माया बाई	संचालक
8.	श्रीमती राजबाई	संचालक
9.	श्रीमती गनेशी बाई	संचालक

संस्था के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह तीन माह के अंदर निर्वाचन सम्पन्न कराये.

यह आदेश आज दिनांक 05 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(735)

विदिशा, दिनांक 05 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) व 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/962.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/772, विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016 से जल क्षेत्रीय भोई समाज सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था के सदस्यों के हित में है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) की शक्ति का प्रयोग करते हुये जल क्षेत्रीय भोई समाज सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./235, दिनांक 12 मई, 1981 को पुनर्जीवित करता हूँ.

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थाई रूप से नामांकित की जाती है—

1. श्री बालकिशन/श्री चुन्नीलाल	अध्यक्ष
2. श्री सत्यप्रकाश/श्री रामरतन	उपाध्यक्ष
3. श्री प्रमूद/श्री बल्देव	संचालक
4. श्री बृज मोहन/श्री कन्हैयालाल	संचालक
5. श्रीमती पप्पी बाई/श्री बृजेश	संचालक
6. श्रीमती ऊषा बाई/श्री बल्देव	संचालक
7. श्री बालकिशन/श्री शंकरलाल	संचालक
8. श्री भैयालाल/श्री सोमत	संचालक
9. श्री विजय सिंह/श्री मेहताब सिंह	संचालक
10. श्री शिबू/श्री शालकराम	संचालक
11. श्री राजेश/लालाराम	संचालक

संस्था के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह तीन माह के अंदर निर्वाचन सम्पन्न कराये.

यह आदेश आज दिनांक 05 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(735-A)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 26 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ठर, तहसील विदिशा	104/25-06-1963	3627/18-11-1970
2.	चर्म औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., पोतला, तहसील विदिशा	116/06-12-1963	012/01-01-1971
3.	चर्म औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., डाबर, तहसील विदिशा	106/02-03-1957	2836/15-07-1970
4.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., बड़ापुरा, तहसील लटेरी	1012/23-03-1957	3625/22-07-1965
5.	विकास अखाद्य तेल साबुन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्यारसपुर	109/21-10-1963	5068/29-11-1963
6.	ग्रामीण तेल उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद	679/28-10-1959	2815/14-09-1970
7.	आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., छरिखेड़ा, तहसील विदिशा	105/16-06-1963	447/27-01-1969

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा (उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा) में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदारों स्वयं दायित्वाधीन होंगे यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्या नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेय प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी करता हूँ.

सुरेश बरकड़े,
परिसमापक.

(736)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 01 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./पुन./2016/899.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/1162, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 द्वारा जय अम्बे बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1420, दिनांक 31 मार्च, 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1162, बैतूल, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के द्वारा श्री बसंत मगरदे, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2016 को आमसभा ली गई. जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है. परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई. तदनुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुये जय अम्बे बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बैतूल का अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2011/1162, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ.

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निर्वाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज संचालन हेतु 6 माह के लिये जय अम्बे बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बैतूल का निम्नानुसार प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करता हूँ-

1. श्रीमती अर्चना बर्डे	अध्यक्ष
2. श्रीमती शीला देशमुख	उपाध्यक्ष
3. श्रीमती शकुन गायकवाड	संचालक
4. श्रीमती संगीता माथनकर	संचालक
5. श्रीमती हेमलता पोटफोडे	संचालक
6. श्रीमती सुनंदा बरडे	संचालक
7. श्रीमती पुष्पा साबले	संचालक
8. श्रीमती द्वारका बाई	संचालक
9. श्रीमती किरण पान्से	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक.

(737)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

श्री बलराम बीज उत्पा. सह. मर्या., जगोटी, पंजीयन क्रमांक 2050, दिनांक 10 फरवरी, 2015 आदेश क्रमांक/परि./862, दिनांक 21 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./862, दिनांक 21 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत श्री बलराम बीज उत्पादक सह. संस्था जगोटी, पंजीयन क्रमांक 2050, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(738)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

दि. एजूकेशन स्टाफ स्टूडेंट कंजूमर को. आ. स्टोर सतना, पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 14 नवम्बर, 1972 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1232, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 से परिसमापनाधीन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आम-सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अतः सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1218, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत दि. एजूकेशन स्टाफ एण्ड स्टूडेंट कंजूमर को. आ. स्टोर सतना का पंजीयन क्रमांक 1232, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.

1. श्री एम. ए. जलील खान	अध्यक्ष	6. श्री अरुण शुक्ला	सदस्य
2. श्रीमती ज्ञानलता शुक्ला	उपाध्यक्ष	7. श्री विवेक कुमार	सदस्य
3. श्री चन्द्रवती प्रज्ञापति	सदस्य	8. श्री डी. के. दुबे	सदस्य
4. श्री आशा अग्रवाल	सदस्य	9. श्री कमलेश गौतम	सदस्य
5. श्री अशोक कुमार	सदस्य		

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(739)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्वा., कैलाशपुर, पंजीयन क्रमांक 472, दिनांक 11 फरवरी, 2004 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1218, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 से परिसमापनाधीन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आम-सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अतः सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1218, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्वा., कैलाशपुर का पंजीयन क्रमांक 1218, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.

1. श्रीमती शकुन्तला सिंह	अध्यक्ष	6. श्रीमती सविता सेन	सदस्य
2. श्रीमती केशकली वर्मा	सदस्य	7. श्रीमती माया देवी गुप्ता	सदस्य
3. श्रीमती सुधा सिंह	सदस्य	8. श्रीमती सुशीला गुप्ता	सदस्य
4. श्रीमती कुसुमा कोल	सदस्य	9. श्रीमती लोली सेन	सदस्य
5. श्रीमती जोगिया बाई	सदस्य		

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

आर. पी. पाल,
उप-पंजीयक.

(739-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 26 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1665.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/176, होशंगाबाद, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा दुर्गा साख सहकारी समिति, मोकलवाडा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 80, दिनांक 03 जून, 2006 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापन नियुक्त किया गया है।

परिसमापन द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापन द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुर्गा साख सहकारी समिति, मोकलवाडा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 80, दिनांक 03 जून, 2006 है के निगमित निकाय (कापोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(740)

होशंगाबाद, दिनांक 26 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1666.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/176, होशंगाबाद, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा कृष्णा महिला बहु. उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खापरखेडा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2949, दिनांक 03 मई, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापन नियुक्त किया गया है।

परिसमापन द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापन द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये कृष्णा महिला बहु. उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खापरखेडा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2949, दिनांक 03 मई, 2008 है के निगमित निकाय (कापोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(740-A)

होशंगाबाद, दिनांक 26 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1667.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/176, होशंगाबाद, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा महिमा प्राथ. साख समिति मर्या., पिपरिया, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 71, दिनांक 30 नवम्बर, 2005 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापन नियुक्त किया गया है।

परिसमापन द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापन द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये महिमा प्राथ. साख समिति मर्या., पिपरिया, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 71, दिनांक 30 नवम्बर, 2005 है के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(740-B)

होशंगाबाद, दिनांक 26 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1668.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/176, होशंगाबाद, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा महालक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्या., पिपरिया, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 72, दिनांक 24 फरवरी, 2006 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापन नियुक्त किया गया है.

परिसमापन द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापन द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये महालक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्या., पिपरिया, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 72, दिनांक 24 फरवरी, 2006 है के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(740-C)

होशंगाबाद, दिनांक 26 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1669.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/176, होशंगाबाद, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा तिलक साख सहकारी समिति मर्या., पिपरिया, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 68, दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापन नियुक्त किया गया है.

परिसमापन द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापन द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये तिलक साख सहकारी समिति मर्या., पिपरिया, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 68, दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 है के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(740-D)

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016-आश्विन 15, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 जून, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील अम्बाह, पोरसा, कैलारस (मुरैना), श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), गोहद (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, राजनगर, बिजावर, बडामलहरा, बक्सवाहा (छतरपुर), पवई (पन्ना), बंडा, देवरी, मालथोन (सागर), हटा (दमोह), नागोद, मैहर, अमरपाटन, बिरसिंहपुर (सतना), हुजूर, गुढ़ (रीवा), जैसिंगनगर (शहडोल), अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), थांदला, पेटलावद (झाबुआ), कट्टीवाड़ा, (अलीराजपुर), कुक्षी, डही (धार), बड़वाह, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), बुरहानपुर, खकनार (बुरहानपुर), लटेरी, सिरोंज, बासौदा, नटेरन, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), आठनेर, आमला (बैतूल), वनखेड़ी, पिपरिया (होशंगाबाद), पाटन, मंझोली (जबलपुर), करेली (नरसिंहपुर), जुन्नारदेव, परासिया (छिन्दवाड़ा), केवलारी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, घनोरा, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील भितरवार (ग्वालियर), जतारा, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), छतरपुर (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), सागर (सागर), पथरिया (दमोह), रघुराजनगर, उचेहरा (सतना), हनुमना, रामपुरकर्चुलियान (रीवा), ब्योहारी (शहडोल), गोपदबनास, सिंहावल (सीधी), झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर, सोण्डवा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), धरमपुरी, गंधवानी (धार), महेश्वर, खरगौन, भगवानपुरा (खरगौन), नेपानगर (बुरहानपुर), कुरवाई (विदिशा), भैंसदेही, बैतूल, मुल्ताई (बैतूल), सोहागपुर, पचमढी, (होशंगाबाद), सीहोर, जबलपुर (जबलपुर), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), निवास, नैनपुर, मण्डला, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, तामिया, सोंसर, चौरई, चांद, बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.-तहसील मेहगांव (भिण्ड), डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), गुन्नौर (पन्ना), केसली (सागर), दमोह (दमोह), रामनगर (सतना), मऊगंज (रीवा), गोहपारु, जैतपुर (शहडोल), जेतहरी (अनूपपुर), मंझोली (सीधी), आलोट,

बाजना (रतलाम), चं. शेखर आ. नगर (अलीराजपुर), बदनावर, मनावर (धार), सेगांव, गोगांवा, कसरावद (खरगौन), विदिशा (विदिशा), बुधनी, रेहटी (सीहोर), शाहपुर, चिचोली (बैतूल), सिवनी-मालवा, बाबई (होशंगाबाद), बिछिया (मंडला), डिण्डोरी, शाहपुर (डिण्डोरी), अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.-तहसील मुरैना, जौरा, सबलगढ़ (मुरैना), अटेर, भिण्ड, लहार, मिहोनरोन (भिण्ड), अजयगढ़, पन्ना (पन्ना), बीना, खुरई, रेहली, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, शाहगढ़ (सागर), मंझगवां (सतना), त्योंथर, सिरमोर (रीवा), सोहागपुर, बुढार (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), जावरा, सैलाना, पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), सरदारपुर, धार (धार), सीहोर, आष्टा, इच्छावर, नसरूल्लागंज (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), होशंगाबाद, इटारसी (होशंगाबाद), कुण्डम (जबलपुर), घुघरी (मण्डला), बजाग (डिण्डोरी), पांडुर्ना (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला श्योपुर, ग्वालियर, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, देवास, झाबुआ, धार, खरगौन, भोपाल, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, डिण्डोरी व सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला धार में फसल सोयाबीन व डिण्डोरी में धान, मक्का, मुरैना, झाबुआ, बुरहानपुर, बैतूल, जबलपुर, छिन्दवाड़ा व सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.-

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, झाबुआ, बुरहानपुर, सीहोर, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 जून, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	10.0				
2. पोरसा	2.0				
3. मुरैना	120.0				
4. जौरा	55.0				
5. सबलगढ़	60.0				
6. कैलारस	10.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	3.0				
2. कराहल	10.6				
3. विजयपुर	3.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	104.0				
2. भिण्ड	63.0				
3. गोहद	15.0				
4. मेंहगांव	49.8				
5. लहार	87.3				
6. मिहोना	88.0				
7. रौन					
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	9.3				
2. डबरा	35.4				
3. भितरवार	22.0				
4. घाटीगांव	47.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सेवदा	. .				
2. दतिया	. .				
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. *जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	5.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	2.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	31.0				
4. टीकमगढ़	19.0				
5. बल्देवगढ़	8.0				
6. पलेरा	14.0				
7. ओरछा	13.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	17.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	3.8				
4. छतरपुर	26.6				
5. राजनगर	6.4				
6. बिजावर	6.0				
7. बड़ामलहरा	5.8				
8. बक्सवाहा	5.8				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	83.4		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुभर,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पन्ना	73.0		उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	35.0		गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों,		
4. पवई	3.0		अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज		
5. शाहनगर	22.1		(2) ..		
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	63.0		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	65.0		तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	5.0		आलू, प्याज कम.		
4. सागर	19.0		(2) ..		
5. रेहली	65.0				
6. देवरी	5.6				
7. गढ़ाकोटा	64.0				
8. राहतगढ़	55.0				
9. केसली	35.0				
10. मालथोन	4.6				
11. शाहगढ़	110.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूंग, उड़द, गन्ना, मक्का, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	17.0				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	44.4				
4. पथरिया	19				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	24.9				
2. मझगवां	46.0				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	16.2				
5. उचेहरा	23.0				
6. अमरपाटन	16.0				
7. रामनगर	37.0				
8. मैहर	4.0				
9. बिरसिंहपुर	7.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गोहूँ कम. मसूर अलसी अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	67.0				
2. सिरमौर	57.8				
3. मऊगंज	35.0				
4. हनुमना	19.2				
5. हजूर	10.3				
6. गुढ़	7.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	23.0				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	74.0				
2. ब्यौहारी	32.0				
3. गोहपारु	51.0				
4. जैसिंहनगर	11.0				
5. बुढ़ार	77.0				
6. जेतपुर	39.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जेतहरी	48.8				
2. अनूपपुर	15.1				
3. कोतमा	15.2				
4. पुष्पराजगढ़	121.2				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	25.0				
2. सिंहावल	29.2				
3. मझौली	47.2				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	4.2				
6. रामपुरनैकिन	2.6				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. . .	7. . .
1. सुवासराटप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. . .	7. . .
1. जावद	..		4. (1) ..	6. . .	8. . .
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	60.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	50.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	55.0				
4. बाजना	40.0				
5. पिपलोदा	80.0				
6. रतलाम	65.4				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . . .	3. ..	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. . .	7. . .
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	6.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावट	9.2				
4. झाबुआ	31.3				
5. राणापुर	25.0				
29. जिला अलीराजपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	21.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	29.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	6				
4. सोंडवा	20				
5. उदयगढ़	23.8				
6. च. शेखर आ. नगर	43				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की जुताई व सोयाबीन की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	38.0		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	54.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	103.1				
4. कुच्छी	2.1				
5. मनावर	45.0				
6. धरमपुरी	24.0				
7. गंधवानी	26.0				
8. डही	2.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
32. जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	8.0		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	32.8		राई-सरसों अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	41.0		धान, कपास, मूंगफली,		
4. खरगोन	22.8		तुवर, गेहूँ, चना कम.		
5. गोगावां	40.0		(2) ..		
6. कसरावद	46.0				
7. भगवानपुरा	19.0				
8. भीकनगांव	10.0				
9. झिरन्या	16.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. *जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) सोयाबीन, कपास, धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग.	..	
3. हरसूद	..		(2) ..		
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	14.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	7.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	24.0				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	17.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	1.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	21.8				
4. बासोदा	8.8				
5. नटेरन	5.0				
6. विदिशा	46.0				
7. गुलाबगंज	8.0				
8. ग्यारसपुर	10.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	90.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	154.0		(2)	
3. इछावर	74.0				
4. नसरूल्लागंज	120.0				
5. बुधनी	46.0				
6. रहटी	36.4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	65.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. गैरतगंज	71.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	102.1				
4. गोहरगंज	63.0				
5. बरेली	55.0				
6. सिलवानी	97.6				
7. बाड़ी	59.0				
8. उदयपुरा	79.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	25.0		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	49.6				
4. चिचोली	35.4				
5. बैतूल	24.3				
6. मुलताई	20.2				
7. आठनेर	11.7				
8. आमला	10.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	49.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	86.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	39.0				
4. इटारसी	56.0				
5. सोहागपुर	20.0				
6. पिपरिया	16.4				
7. बनखेड़ी	11.0				
8. पचमढी	31.6				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	33.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	17.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	21.1				
4. मझोली	8.8				
5. कुण्डम	69.6				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाड़वारा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	11.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	19.0				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	24.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	52.9		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	18.5				
4. मण्डला	32.4				
5. घुघरी	75.3				
6. नारायणगंज	20.2				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान व मक्का की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	44.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	66.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	48.2				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	19.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	13.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	16.3				
4. तामिया	19.0				
5. सोंसर	17.8				
6. पाहुणा	61.4				
7. अमरवाड़ा	38.8				
8. चौरई	26.8				
9. चांद	29.6				
10. बिछुआ	27.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
11. हरई	..		(2) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
12. मोहखेड़ा	28.6				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	29.80		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	4.20		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	1.00				
4. बरघाट	9.30				
5. उरई	12.0				
6. घंसोर	..				
7. घनोरा	3.40				
8. छपारा	12.70				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.-*जिला अशोकनगर, गुना, नीमच, बड़वानी, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(741)